

राष्ट्रीय सरकार, पी.टी.सी. संस्थान
प्रशिक्षण विभाग व (सं. टोपीय शिबिर संघर्ष)
पूर्व अर्जुन नगर, कडवाड़पूमा कोर्ट के पी.टी. शाहदरा, दिल्ली-110032

सं.एफ.5(1)15/11/यू.टी.सी.सं. / प्र.भा.-1

दि. कि :

परिचय

प्रशिक्षण निदेशालय, यू.टी.सी. सं. का यह दायित्व है कि वह विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो कि प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। इस निदेशालय ने प्रयोगमूलक कार्यकुशलता के कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित किया है। इस संदर्भ में एक दिवसीय "राजभाषा हिन्दी में लेखन दक्षता" का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 04.07.2011 को आयोजित किया जायेगा।

पाठ्यक्रम का महत्व - हिन्दी भारत की राजभाषा है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की भी राजभाषा है। दिल्ली सरकार में दक्षिणी भारत व उत्तर पूर्वी भारत के अधिकारी/कर्मचारी भी कार्यरत हैं। सभी कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों के निवारण और हिन्दी के प्रयोग में दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इस प्रशिक्षण के पश्चात् प्रशिक्षणार्थी सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में अधिक सक्षम हो सकेंगे तथा अधिक से अधिक उसे व्यवहार में ला सकेंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी - इस पाठ्यक्रम से दिल्ली सरकार, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थान, दिल्ली सरकार के सभी उपक्रम व निगम के सभी अधिकारी/कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

पाठ्यक्रम का उद्देश्य - पाठ्यक्रम की समाप्ति पर उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में सक्षम हो जायेंगे तथा अधिक से अधिक इसे व्यवहार में ला सकेंगे।

पाठ्यक्रम की विशय सूची -

1. हिन्दी व्याकरण व भुद्ध लेखन
2. भासन/सरकार में हिन्दी भाषा व वाक्यों का प्रयोग
3. हिन्दी भाषा में टिप्पण एवं आलेखन, ज्ञापन एवं अनुस्मारक इत्यादि
4. हिन्दी भाषा में आदेश, अधिसूचना, पत्र लेखन व अर्ध-शासकीय पत्र


पाठ्यक्रम की पद्धति - पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण हिन्दी में प्रवीण व अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा दिया जायेगा। सामान्यतः प्रशिक्षण व्याख्यान द्वारा व पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन द्वारा दिया जाता है। पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को प्रश्न पूछने एवं अपने संशय दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

पाठ्यक्रम के लिए नोटिफिकेशन -

1. पाठ्यक्रम में 40 प्रतिशत वर्कों को समाप्त जड़ेकिया है ।
2. पाठ्यक्रम प्राप्त नहिया प्रशिक्षणार्थियों को पहले स्थान दिया जायेगा ।
3. नार्थि प्रशिक्षणार्थियों के बायोडेटा फार्म को निर्धारित प्रपत्र (फार्म संलग्न) पर 28.06.2011 तक प्रेषित कर दे ।
4. निम्न प्रशिक्षणार्थियों के नाम दिनांक 28.06.2011 तक प्राप्त नहिया होंगे, उन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण का अनुभव नहिया जयेगा ।
5. दिल्ली के बाहर के प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के लिए तभी आयें जब उनको उनके नामांकन स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त हो जाये ।

अन्य निर्देश -

1. प्रशिक्षणार्थी पाठ्यक्रम के विषय में आधारभूत सूचनाओं से अवगत होकर आयें ।
2. प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के विषय में विभागीय आदेश, रिपोर्ट इत्यादि के विषय में जानकारी व प्रतिलिपि भी साथ लेकर आयें जिससे कि व्याख्याता व निदेशालय लाभान्वित हो सके ।
3. प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान अपना मोबाइल फोन बन्द रखें ।
4. प्रशिक्षणार्थियों को यदि प्लान-पत्र दिया जाता है तो वह उसे पूरा करें तथा साथ ही फीड बैक फार्म भी भर कर दें ।
5. प्रशिक्षणार्थी किसी भी सूचना एवं स्पष्टीकरण के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं ।
6. संपर्क व पत्राचार के लिए दूरभाष संख्या-22308552, फेक्स संख्या-22308556 व ईमेल dutcs@nic.in & actrgdutcs.delhi@nic.in पर संपर्क करें ।



(नील कमल)


सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)

सं.एफ.5(1)15/11/यू.टी.सी.एस./प्र.भा.-1/13830-997

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

दिनांक : 9-05-11

1. सभी विभागाध्याक्ष स्थानीय एवं स्वायत्तशासी संस्थान, दिल्ली सरकार के सभी उपक्रम एवं निगम
2. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव (प्रशिक्षण एवं मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव), दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002
4. सम्पदा अधिकारी, प्रशिक्षण निदेशालय को विभाग की वेबसाइट पर जातने हेतु ।



(नील कमल)

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)

राष्ट्रीय मातृभाषा मंत्रालय
प्रशिक्षण निदेशक, प (संघ क्षेत्रीय शिक्षण, राजमाषा)
पू. अ. नि. नं. १, कडकवाड़वा कोर्ट के पास, शाहदरा, दिल्ली-110032

सं.एफ.5(1)-8/11/यू.टी.ए.ए./प्र.भा-1

दिनांक :

सीखने की इकाई - प्रशिक्षण पाठ्यक्रम "राजभाषा हिन्दी में लेखन दक्षता"

पाठ्यक्रम के पैकेज का नाम		प्रयोजनमूलक कार्यकशलता		
पाठ्यक्रम का नाम		राजभाषा हिन्दी में लेखन दक्षता		
पाठ्यक्रम की अवधि		एक दिवसीय (04.07.2011)		
सत्रों की संख्या		चार (04)		
प्रशिक्षण भाषा		1		
वर्ष कोऑर्डिनेटर का नाम		श्री नील कमल		
आब्जैक्टिव	विषय	प्रशिक्षण की विधि	प्रशिक्षण सामग्री	निष्पादन सहायता
सत्र - 1	हिन्दी व्याकरण व शुद्ध लेखन			
हिन्दी व्याकरण का ज्ञान	<ul style="list-style-type: none"> • हिन्दी व्याकरण वाक्य विचार 1. वाक्य गुण 2. अन्वय • किया और कर्ता का अन्वय • किया और कम का अन्वय • संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय • विशेष्य और विशेषण • वाक्य विग्रह • शुद्ध वाक्य रचना व विराम चिन्ह 	व्याख्यान		
सत्र - 2	शासन/सरकार में हिन्दी शब्दों व वाक्यों का प्रयोग			
	<ul style="list-style-type: none"> • मुताबरे व लोकोत्तियों • शासन सरकार में प्रयोग आने वाले शब्द व वाक्य 	व्याख्यान		
सत्र - 3	हिन्दी टिप्पण एवं लेखन ज्ञापन व अनुस्मारक			
हिन्दी में सरकारी कामकाज में सुधार	<ul style="list-style-type: none"> • हिन्दी में टिप्पण की विधि • लेखन की विधि • ज्ञापन का प्रारूप व लेखन 	व्याख्यान		

	<ul style="list-style-type: none"> • अर्थशास्त्र का प्रारम्भ व लेखन की विधि 			
सत्र - 4	हिन्दू शाखा में आदेश, अधिसूचना, पत्र-लेखन, अर्थशास्त्रीय पत्र			
	<ul style="list-style-type: none"> • आदेश लेखन की विधि • अधिसूचना लेखन की विधि • अर्थशास्त्रीय पत्र लेखन की विधि 	कारखान		